न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः– श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 24 / 2024

अपीलांटगणगण	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.गोकलसिंह पुत्र श्री मोड़सिंह 2. भगवानसिंह पुत्र श्री मोड़सिंह 3. रामसिंह पुत्र श्री मोड़सिंह जाति राजपूत निवासी गुमानपुरा तहसील देचू जिला जोधपुर		1. श्री तहसीलदार देचू

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बनराजगी आदेश तहसीलदार देचू प्रार्थना पत्र सं. 10 / 2023–24 निर्णय दिनांक 28.08.2023

उपस्थित वकील –:

अपीलाण्ट् की ओर से– अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा।

रेस्पोडेण्ट्स की ओर सेः– तहसीलदार देचू स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांकः–13.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत धारा 91 में दर्ज तहसीलदार देचू के प्रार्थना पत्र संख्या 10 / 2023–24 निर्णय दिनांक 28.08.2023 के विरूद्व अपीलांट द्वारा मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है।

2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि अपीलांट को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस जारी कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करने का समय चाहा जवाब पेश किया गया पत्रावली में पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी व पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28.08.2023 की नोटेड करवायी गयी। बाद दिनांक आदेशिका लिखी जाकर पत्रावली दिनांक 25.08.2023 को रखी गयी जिसकी सूचना अपीलांट को नही दी गयी। हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वार दिनांक 25.08.2023 को ही मौका फर्द बनायी गयी व न्यायालय हाज में उसी दिन पेश कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांट ने अपील की म्याद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार फलोदी से मूल रेकर्ड तलब किया गया । जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

जिला कलक्टर
फलोदी

4. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की भूमि खसरा संख्या 1062 व 175 ग्राम गुमानपुरा तहसील देचू में आयी हुई है। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1062 व 175 के मध्य मेघा हाईवे फलोदी से रामजी का गोल बना हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण की खोतदारी की भूमि में आम सार्वजनिक रास्ता बना होने से रास्ता की रूकावट होना जाहिर नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.08.2023 को अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया व प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की कि भूमि की पैमाइश किये बिना प्रार्थी की खोतदारी की भूमि का सही ज्ञान होना संभव नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी के मध्य सार्वजनिक रास्ता बताया है जबकि प्रार्थी की खातेदारी के खेत में मेघा हाईवे भी निकलना जाहिर है।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट में मेघा हाईवे का अंकन नहीं किया गया है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थीगण ने रास्ते पर निर्माण कार्य किया हो राजकीय कर्मचारी राजनैतिक दबाव में आकर सही सीमाज्ञान नहीं कर मौका रिपोर्ट पेश की है जबकि ग्राम के मुटाव से पैमाईश करनी थी जो नही कर रिपोर्ट पेश की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशिक दिनांक 24.08.2023 के अनुसार बहस हेतु अपीलांट के अधिवक्ता को दिनांक 28.08.2023 मुकर्रर की थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2023 को निर्णय पारित कर दिया। प्रार्थीगण अपीलांट की की बहस को न सुना गया एक तरफा निर्णय पारित कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की घोर अवहेलना की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2023 निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावें।

5. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार देचू से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तदअनुसार यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा 10.08.2023 को रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध ग्राम गुमानपुर के खसरा नंबर 862 रकबा 2.5 बीघा किस्म गैर मु. रास्ता पर तारबंदी व सगारथल अंकित करते हुए कब्जे की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नाटिस जारी किये गये है। अप्रार्थीगण दिनांक 17.08.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे और जबाबदावा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया है। दिनांक 23.08.2023 को अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब मय प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति पर विचार करते हुए भू अभिलेख निरिक्षक एवं पटवारी हल्का की संयुक्त टीम को आदेशित किया है कि पुनः सीमाकंन कर रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत करे। आदेशिका के अनुसार पत्रावली बहस एवं मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 25.08.2023 को रखी गई है। आदेशिका के मार्जिन में बहस हेतु नोटेड दिनांक 28.08.2023 लिखा जाकर किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त हस्ताक्षर किस व्यक्ति या अधिवक्ता के है।
पत्रावली में किसी अधिवक्ता का वकालातनामा भी संलग्न नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध नहीं करता हैं कि पत्रावली बहस हेतु दिनांक 28.08.2023 को रखी गई थी। आदेशिका में हुक्म व कार्यवाही वाले कॉलम में बहस हेतु 25.08.2023 को रखी गई है।
अतः अभिभाषक का उक्त तर्क कि 28.08.2023 पत्रावली बहस हेतु रखी गई थी तथ्यों से साबित नहीं है।

7. जहॉ तक पैमाइश रिपोर्ट का प्रश्न है,अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर भू अभिलेख निरिक्षक व पटवारी हल्का 25.08.2023 को मौके पर जाकर पैमाईश का कार्य किया गया है। मौका फर्द के अनुसार रूबरू एवं मौतबिरान के समक्ष पैमाइश जी.पी.एस. के द्वारा किया है। इसमें खसरा नंबर 1067 के उत्तरी कोने, खसरा नंबर 1067,1066 व खसरा नंबर 1062 के तिपारे एवं खसरा नंबर 1062, 1066 के पूर्वी कोने को मुकम्मल बिन्दु मानकर खसरा संख्या 175 में चल रहे गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 862 को सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान के अनुसार खसरा नंबर 862 गैर मुमकीन रास्ता पर अप्रार्थीगण रामसिंह का मकान बनाया गया है। फर्द मौके पर पक्षकारान व मौतबिरान की उपस्थिति एवं उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने का भी अंकन है।

जिला कलक्टर
फलौदी

8. जहॉ तक अपीलांट को बहस के लिए अवसर नहीं देने का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एवं दस्तावेज सम्मलित है।

उक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई के लिए नोटिस जारी किये गये है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे है। एवं उनकी ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टात व दस्तावेज भी पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता हैं कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय समुचित प्रक्रिया अपनाते हुए बाद सुनवाई पारित किया गया है। अतः इसमें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

10. अतः अपीलांट द्वारा अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली प्रतिप्रेषित की जावें।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 13/03/2014 सरेइजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलोदी